

रापिर्ट

प्रेषण,

सेवा मे,

उत्तर सचिव,

मानविक शिक्षा परिषद्,

प्रबन्धक,

गोपाल सरल्यती, पिंडा, मैदिर

उत्तर प्रदेश,

धोत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

रापिर्टरी

पत्र संख्या जाई. यो. मानवता द 804

इलाहाबाद, दिनांक । - ७ - , १९७५

रापिर्ट (कोड़ाना०)

विषय - आपका हाई स्कूल इन्डस्ट्रीज़ परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (वांचियम) की मान्यता का प्राप्तना-क्रम।

महोदय,

शास्त्र ने मान्यता संन्यति एवं समाप्ति, मानविक शिक्षा परिषद् की संस्थानि के उपरान्त इष्टरमोडिएट शिक्षा (संघोपन) को धारा २-क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/महिला-विद्यालय के रूप में परिषद् को १०८ को हाई स्कूल/इन्डस्ट्रीज़ परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में समान्य व विशेष प्रतिवर्धनों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग विषयों में मान्यता दिए जाने का अवेदन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिवर्धन

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय को नवीन ९वीं-१०वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध (जैसे अध्यापकगण, सरकार, दिक्षांग-सामान्य, प्रयोगशाला, नथन, पुस्तकालय, स्थान, प्रान्त, सुरक्षित कोष एवं आधिक विधि और अन्य प्रतिवर्धनों के बृति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय नियोजक/मण्डलों व नियोजक/विद्यालय नियोजिका को पूर्णांकण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। विना उनको लिखित अनुमति के संचालित कक्ष, अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थापिकारी हो स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(२) इस आदेश-पत्र के नियंत्र होने की तिथि से दो तर्दे के अन्दर ही जिला विद्यालय नियोजक/मण्डलीय नियोजिका-विद्यालय नियोजिका से ९वीं-१०वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः गमान्त समझे जायेगे।

(३) सरकार की अधिकारी दासन द्वारा नियोजित शासक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिपिल सॉटेंड इंस्क व चेयर्स ही स्थोकार किए जायेगे।

(४) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनाद्य परिषद् द्वारा नियोजित अनुसन्धानों से विमुक्ति अंदाकारिक अध्यापकों/मानविकासों को नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(५) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य-प्रबन्धनाचार्य को नियुक्ति की जाय।

(६) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थापिकारी स्वयमेव वहन करे।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता समझौते विवरण में यदि कोई ग्रुचना यत्त यादी जाती है तो विचालय की प्रबल मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ग्रीष्मात्य द्वारा वधा - ७ व १० के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्याप तथा लिंग की जाती है तो वे अन्य होगी तथा द्वारा स्वूल का भाग नहीं होगी। इस प्रयोगशाला द्वारा 2 प्रयोगात्मक में से की व्यवस्था की जाय।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
सीधे हास्त्वूल हिन्दी, अंग्रेजी, संटकृत, गणित, पैशानिक नवीन पिछान, सामाजिक पिछान, नैतिक शारीरिक तमाजोपवोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य		जीव विज्ञान

टिप्पणी:— (1) क्षा. ५ में प्रयोग हेतु कम से कम ५० दाव उपलब्ध होने तथा इस पर में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ण होने के उपरागत ही निरीक्षक-सिद्धेन्द्रिय कार्य का संचालन की अनुमति प्रदान करे।

तीर्त्तमन- भूमि विषयों।

नवदीय,
३१-८-९५
भारत सरकार
३१-८-९५

पृष्ठांक संस्था आई. बो. मान्यता/इ/

दिनांक

- प्रतिलिपि भिन्नतिहित अधिकारियों को सूचनाएँ एवं आवश्यक कामबाही हेतु दें।
- (1). जिला विद्यालय निरीक्षक-मन्त्रनोय विद्यिका विचालय निरीक्षक। *रायगढ़*
 - (2). मण्डलीय उप विद्या निवेशक। *टोक्टोड*
 - (3). उप शिखा निवेशक (माध्यमिक) वित्त निवेशालय, उ. प्र., इलाहाबाद।
 - (4). हाई स्कूल/इन्स्ट्रमेंटल परोक्षा, संस्थागत अनुभाव।

भारत सरकार

दाखिला

प्रेषण,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
कोशीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में

प्रबन्धक,

गौथंगां गंगानामी विद्यां मंदिर हायर सेकेण्डरी
स्कूल संस्कृतीपुर रायबरेली.....

एव संहया आई० बी० मासिता/इ/ 1098

इलाहाबाद, दिनांक २-७-१९५४

विषय—आपका हाई-स्कूल/इन्डर्सोडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अनियमित (खां/विषय) की मायता का प्राप्तना-पत्र।

महोदय,

शासन ने टॉक्सिक समिति द्वारा ई०प्र०प० १५१०/१६७-५४८८५३०/संस्कृतांक उत्तराधिकारी द्वारा दिल्ली विज्ञान (संशोधन) अधिनियम, १९४७ को द्वारा कृ०४४(५) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् को १९५३ की हाई-स्कूल/इन्डर्सोडिएट परीक्षा से नियमिति वर्ग विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिक्रिया के साथ नवीन/अनियमित वर्ग विषयों में विस्तृत मायता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिवर्त्तन

- (1) इस पत्र में अंकित खां/विषय की नवीन नवीन ११वीं कक्षा संचालित करने के दूर्व शिक्षा के एवं से (जैसे अध्यापकगण, सचिव, दिक्षिण-पासपोर, प्रदेशसभा, गवर्नर, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आदिक विषय और अन्य प्रतिवर्त्तनों को पूछि) तथा विद्यालय के अनुशासन व नियमिति संस्कृत कर दूनके लियित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। दिन इनकी लियित अनुमति के संचालित कक्षा असाम व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थापिकारी ही स्वयमेव उत्तरण्यों होंगे।
- (2) इस आदेश-पत्र के लियें जो वो तिथि से वो वर्ग के अन्दर ही जिला विद्यालय नियोजित-सम्भवीय-उप-शिक्षा-नियेमक (गां) से ११वीं ११वीं कक्षा संचालित करने को अनुमति दाता कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मायता स्वतः समोन्त समझी जायेगी।
- (3) सहज का उपवस्था शासन द्वारा नियोजित मानक के अनुसार को झाँक। इसके लिये सिर्फ लौटेव छोड़ व चेपसं ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा नियोजित अनुत्तम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/अध्यार्थिकार्यों को नियुक्ति नियमानुसार की जाय।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य-प्रधानाचार्यों को नियुक्ति की जाय।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का रामस्त व्यय संस्थापिकारी स्वयमेव यहत करें।

विदेश प्रतिबन्ध

(३) संस्था द्वारा प्रेषित काम्यता समझायी विवरण में पदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त काम्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(४) संस्था के प्रबोधनालय १०५० रुपये की प्रबोधनालय के १५ प्रबोधनालय खाली की तरीके संगत विवरण दी जाए।

(५) इन्टरनेशनल १९९० रुपये की प्रबोधनालय की विवरण।
इन्हीं विद्यालय निवास इन्डियन के द्वारा द्वारा प्रबोधनालय विवरण की विवरण दी जाए।

(६) ७५८ रुपये की कुल प्रबोधनालय के विवरण।
वर्तमान विवरण का विवरण।

वर्तमान विवरण	विवरण
इन्टरनेशनल काम्यता	विवरण विवरण विवरण, राजनीति विवरण, सामाजिक, उत्तरी, अंतर्राष्ट्रीय

टिप्पणी—(१) रक्षा ००/f ०० में प्रवेश हेतु एम से बम ००/२० छात्र उन्नति को (विद्यालय के छात्रों) की दृष्टि होने के दृष्टिकोण हो निरस्त निर्दिष्ट कुरुक्षा रक्षा उन्नति की सन्तुष्टि प्रशान्त करे।

हास्यनाम—काम्यता विवरण,

मवर्दीय,

विवरण
विवरण
विवरण

प्रधानमंत्री जाहीर बी ० काम्यता/४/

विवरण

विवरण विवरण विवरण को इच्छाये देव विवरण का प्रयोग हेतु प्रयोग—

- (१) जिला विद्यालय निरोक्षक/भवनों/उप-विद्यालयों/निवेशक (म००)
- (२) मण्डलीय संघर्षक विद्यालयों/निवेशक ।
- (३) चय विद्यालय (साम्प्रदायिक) विद्यालयों/निवेशक (म००), इलाहाबाद ।
- (४) हाई-स्कूल/इंटरमीडिएट विद्यालय, संस्थागत भूमि भाग ।

mm13
Principal (71162)
Gopel Saraswati Vidya Mandir
Sadar-Raebareli-229001

विवरण
विवरण

पै ०१९० पै ००—१९९ मा ० लि ० प०—२१-१-९७—१०,००० प्रतिवारा (पै ० डौ०) ।